राजस्थान विधान सभा

नवम् सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 11 अक्टूबर, 2012

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री नगरीय विकास विभाग एवं विधि विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

नगरीय विकास विभाग

1- अधिसूचना संख्या: एफ.3(50)यूडीएच/3/2012 दिनांक 31.5..2012 जिसके द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 विरचित किये गये हैं;

2- अधिसूचना संख्या: एफ.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 31.5..2012 जिसके द्वारा अपील अधिकारी नियुक्त किये गये हैं;

3- अधिसूचना संख्या: एफ.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 31.5..2012 जिसके द्वारा प्राधिकारी अधिकारी एवं उच्चतर अधिकारी की नियुक्ति की गई है;

4- अधिसूचना संख्या: एफ.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 31.5..2012 जिसके द्वारा उच्चतर अधिकारी की नियुक्ति की गई है;

5- अधिसूचना संख्या: एफ.3(114)नविवि/3/2012 दिनांक 28.6.2012 जिसके द्वारा अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत देय प्रीमियम शुल्क की छूट प्रदान की गई है;

6- अधिसूचना संख्या: एफ.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 31.7..2012 जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

7- अधिसूचना संख्या: एफ.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 7.7.2012 जिसके द्वारा कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के लिये भूमि के आवंटन के मामलों में भूमि की प्रीमियम दरें निर्धारित की गई है;

8- अधिसूचना संख्या: एफ.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 03.9.2012 जिसके द्वारा नगर विकास न्यास, अलवर, उदयपुर एवं जैसलमेर में भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है;

9- अधिसूचना संख्या: एफ.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 21.9..2012 जिसके द्वारा कतिपय क्षेत्रों हेतु प्रीमियम की संशोधित दरें निर्धारित की गई है;

जारी-2

10- अधिसूचना संख्या: एफ.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 21.9..2012 जिसके द्वारा आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन हेतु दरें निर्धारित की गई है; एवं

11- अधिसूचना संख्या: एफ.9(63)यूडीएच/3/81 दिनांक 11.6..2012 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) नियम, 1974 में संशोधन किया गया है।

<u>विधि विभाग</u>

अधिसूचना संख्या:जीएसआर.5 दिनांक 20 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 में संशोधन किया गया है।

<u>आबकारी विभाग</u>

II- श्री राजेन्द्र पारीक, आबकारी मंत्री, आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

1- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2012पार्ट-1 दिनांक 01 अप्रेल, 2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.4(62)वित्त/आबकारी/96 दिनांक 31.3.97 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2012पार्ट-1 दिनांक 01 अप्रेल, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में कतिपय संशोधन किये गये हैं;

3- अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2012पार्ट-1 दिनांक 01 अप्रेल, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेन्ट बार लाइसेंस स्वीकृति) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2012पार्ट-1 दिनांक 01 अप्रेल, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (होटल, बार/क्लब बार लाइसेंस स्वीकृति) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है;

5- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2012पार्ट-1 दिनांक 01 अप्रेल, 2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.4(85)वित्त/आबकारी/2003 दिनांक 19.2.2004 में संशोधन किया गया है; एवं

6- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2012 दिनांक 17 मई, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया हैं।

जारी-3

III- श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

राजस्व विभाग

1- अधिसूचना संख्या एफ.3(2)राज-6/03पार्ट/7 दिनांक 2.3.2012 जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन किये गये है;

2- अधिसूचना संख्या एफ.6(40)राज-6/2011/8 दिनांक 5.3.2012 जिसके द्वारा जिला जयपुर तहसील फुलेरा के ग्राम लालपुरा को लवण क्षेत्र घोषित किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/9 दिनांक 29.3.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं;

4- अधिसूचना संख्या एफ.6(48)राज-6/01/पार्ट/11 दिनांक 10.5.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (बोर्ड अध्यक्ष एवं सदस्यों की अहर्ताएँ और सेवा शर्तें) नियम, 1971 में संशोधन किया गया है;

5- अधिसूचना संख्या एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/13 दिनांक 29.5.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-अभिलेख नियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत टोंक जिले को नोटिफाईड किया गया है;

6- अधिसूचना संख्या एफ.9(60)राज-6/2012/14 दिनांक 19.6.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (बीज गोदामों के लिये भूमि आवंटन) नियम, 1965 में संशोधन किया गया है;

7- अधिसूचना संख्या एफ.9(31)राज-6/2006/15 दिनांक 9.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 में संशोधन किया गया है;

8- अधिसूचना संख्या एफ.11(1)राज-6/2004/21 दिनांक 31.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 में संशोधन किया गया है; एवं

9- अधिसूचना संख्या एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/26 दिनांक 14.9.2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना दिनांक 16.1.2012 के संदर्भ में शुद्धि पत्र जारी किया गया है।

उपनिवेशन विभाग

1- अधिसूचना संख्या एफ.4(5)उप/2008 दिनांक 11.5.2012 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कॉलोनी) शर्तें, 1955 में संशोधन किया गया है; एवं

2- अधिसूचना संख्या एफ.3(38)उप/2000/पार्ट-V दिनांक 15.5.2012 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कॉलोनी) शर्तें, 1955 में संशोधन किया गया है।

जारी-4

ऊर्जा विभाग

IV- डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री ऊर्जा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

1- अधिसूचना संख्या राविविआ/सचिव/विनियम/91 दिनांक 22.3.2012 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विवादों का विद्युत लोकपाल द्वारा निपटारा) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 विरचित किये गये है; एवं

2- अधिसूचना संख्या राविविआ/सचिव/विनियम/92 दिनांक 18.5.2012 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टेरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) (चतुर्थ संशोधन)विनियम, 2012 में संशोधन किया गया है।

परिवहन विभाग

V- श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, परिवहन राज्यमंत्री परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

1- अधिसूचना संख्या एफ.7(229)परि/रूल्स/एचक्यू/2003/3454 दिनांक 13.6.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ .6(59)परि/कर/मु0/05/645 दिनांक 27.4.2012 जिसके द्वारा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के अन्तर्गत वितरित स्कूटी पर देय एक बारीय कर एवं सरचार्ज में छूट प्रदान की गई है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ .6(96)परि/कर/मु0/10 दिनांक 3.5.2012 जिसके द्वारा दिनांक 20.5.2012 से 2.6.12 तक अन्य राज्यों से अजमेर शहर आने-जाने वाले यात्री वाहनों पर देय 3500/- रूपये से अधिक करों में छूट प्रदान की गई है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ .6(59)परि/कर/मु0/05/ दिनांक 30.7.2012 जिसके द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की वाहन महेन्द्रा जायलो को विकलांग महिलाओं/बालिकाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने आदि कार्यों हेतु कर में छूट प्रदान की गई है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ .6(75)परि/कर/मु0/08/ दिनांक 14.8.2012 जिसके द्वारा दिनांक 15.8.2012 से 2.9.2012 तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला-जैसलमेर) आने-जाने वाले यात्री वाहनों पर देय 3500/- रूपये से अधिक करों में छूट प्रदान की गई है;

6- अधिसूचना संख्या : एफ .6(138)परि/कर/मु0/10 दिनांक 23.8.2012 जिसके द्वारा लॉयन्स आई हास्पिटल ट्रस्ट रानी, जिला पाली के वाहन संख्या-आरजे-22-पीए-1922 (41 सीट) एवं आरजे-22-पीए-2310 (33 सीट) को नेत्र रोगियों के उपचार संबंधी कार्य हेतु कर में छूट प्रदान की गई है; एवं

जारी-5

7- अधिसूचना संख्या : एफ .6(75)परि/कर/मु0/08/9785 दिनांक 12.9.2012 जिसके द्वारा दिनांक 13.9.2012 से 30.9.2012 तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला-जैसलमेर) आने-जाने वाले यात्री वाहनों पर देय 3500/- रूपये से अधिक करों में छूट प्रदान की गई है ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 2011-2012;

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-5, 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (सिविल-स्थानीय निकाय);

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण वर्ष 2011-2012 का प्रतिवेदन संख्या-6;

(4) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट-द्वितीय (वर्ष 2012-13 के लिये) तथा इस पर कार्यवाही (एटीआर) के विवरण का ज्ञापन;

(5) लोकायुक्त के प्रतिवेदन से संबंधित स्पष्टीकारक ज्ञापन;

(6) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षण लेखा विवरण वर्ष 2002-03 से 2010-2011 एवं वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 से 2011-2012; एवं

(7) राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2001-02 से 2010 2011 तक।

II- श्री हरजीराम बुरड़क, कृषि मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 सदन की मेज पर रखेंगे।

III- डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़ का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2010-2011; एवं

जारी-6

2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़ का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2009-2010.

IV- श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखेंगे।

V- श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3) (एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, जनलेखा समिति, 2012-2013 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2007-08 के अनुच्छेद संख्या 5.1 में समाविष्ट कृषि विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 157वॉ प्रतिवेदन।
2. जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 (13वीं विधान सभा) के 70वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 158वॉ प्रतिवेदन।
3. जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 (13वीं विधान सभा) के 81वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 159वॉ प्रतिवेदन।
4. जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 (13वीं विधान सभा) के 72वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 160वॉ प्रतिवेदन।
5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2009-10 का अनुच्छेद संख्या 2.4 नगरीय विकास विभाग, (सिविल) वर्ष 2009-10 का अनुच्छेद संख्या 3.3.3 चिकित्सा शिक्षा तथा अनुच्छेद संख्या 3.5.6 महिला बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वन एवं गृह विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 161वॉ प्रतिवेदन।

जारी-7

6. जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 (13वीं विधान सभा) के 89वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 162वॉ प्रतिवेदन।
7. जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 (13वीं विधान सभा) के 90वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 163वॉ प्रतिवेदन।
8. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2009-10 का अनुच्छेद संख्या 1.8.4 व 3.4 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजकीय उपक्रम, गृह एवं वन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 164वॉ प्रतिवेदन।
9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2006-07 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 5.1 पशुपालन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 165वॉ प्रतिवेदन।
10. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2007-08 के अनुच्छेद संख्या 3.2 में समाविष्ट जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 166वॉ प्रतिवेदन।
11. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 2.2 में समाविष्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 167वॉ प्रतिवेदन, प्रतिवेदन।
12. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 2.4 व 3.3.6 में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 168वॉ प्रतिवेदन।
13. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2007-08 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 169वॉ प्रतिवेदन।
14. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2006-07 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 170वॉ प्रतिवेदन।
15. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 171वॉ प्रतिवेदन।
16. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 का अनुच्छेद संख्या 3.2.2 कार्मिक विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 3.4.1 वित्त विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 172वॉ प्रतिवेदन।

जारी-8

17. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 का अनुच्छेद संख्या 2.3, 3.2.5 एवं 3.4.5 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 173वॉ प्रतिवेदन।
18. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008-09 के अनुच्छेद संख्या 2.1 कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 174वॉ प्रतिवेदन।
19. जनलेखा समिति. वर्ष 2011-12(तेरहवीं विधान सभा) के 77वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 175वॉ प्रतिवेदन।
20. जनलेखा समिति. वर्ष 2011-12(तेरहवीं विधान सभा) के 96वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 176वॉ प्रतिवेदन।
21. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 2.7 व 3.3.2 वन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, वर्ष 2012-13 का 177वॉ प्रतिवेदन।
22. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.2.1 कृषि एवं उच्च शिक्षा,अनुच्छेद संख्या 3.3.1 कृषि, अनुच्छेद संख्या 3.4.2 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा अनुच्छेद संख्या 3.5.5 तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 178वॉ प्रतिवेदन।
23. जनलेखा समिति. वर्ष 2010-11 (तेरहवीं विधान सभा) के 58वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 179वॉ प्रतिवेदन।
24. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2005-06 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 180वॉ प्रतिवेदन।
25. जनलेखा समिति वर्ष 2008-09(बारहवीं विधान सभा) के 268वें प्रतिवेदन में सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 181वॉ प्रतिवेदन।

(II) श्रीमती जकिया, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी :-

1- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1995-96 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 93वां प्रतिवेदन;

2- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-99 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 94वां प्रतिवेदन;

जारी-9

3- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 95वां प्रतिवेदन;

4- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 96वां प्रतिवेदन ;

5- विद्युत क्षेत्र की कम्पनियॉ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 97वां प्रतिवेदन;

6- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 98वां प्रतिवेदन;

7- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 99वां प्रतिवेदन ;

8- राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 100वां प्रतिवेदन;

9- विद्युत क्षेत्र की कम्पनियॉ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 101वां प्रतिवेदन;

10- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 43वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 102वां प्रतिवेदन; एवं

11- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड़(अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 38वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 103वां प्रतिवेदन।

(III) श्री अलाउद्दीन आजाद, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख', 2012-2013 राजस्व विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2011-2012 के 18वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख', 2012-2013 के परिपालनात्मक 22वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

जारी-10

4. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

डॉ. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

5.प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012

श्री हेमाराम चौधरी, सभापति, प्रवर समिति प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय:-

राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-20)

"राजस्थान राज्य में जल संसाधनों को विनियमित करने, जल संसाधनों के उचित, साम्यापूर्ण और वहनीय प्रबन्ध, आबंटन और उपयोग को सुकर बनाने और सुनिश्चित करने, पीने के, कृषिक, औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिये जल के उपयोग हेतु दरें नियत करने के लिये राजस्थान जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने या उससे संसक्त या आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने के लिए विधेयक ।"

6. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2012-2013 एवं अतिरेक मांगें वर्ष 2008-2009 का उपस्थापन

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री वर्ष 2012-2013 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें(प्रथम संकलन) तथा वर्ष 2008-2009 के लिये अतिरेक मांगों का उपस्थापन करेंगे ।

जारी-11

7. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(1) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अध्यादेश, 2012 के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2012 को प्रख्यापित मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-5) को अस्वीकार करता है।"

(I I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-29)

"राजस्थान राज्य में अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(2) हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2012 को प्रख्यापित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-11) को अस्वीकार करता है।"

(I I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-30)

"राजस्थान राज्य में जयपुर में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी-12

(3) बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अध्यादेश, 2012 के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2012 को प्रख्यापित बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-6) को अस्वीकार करता है।"

(I I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-31)

"राजस्थान राज्य में भरतपुर में बृज विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(4) डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

डॉ0 भीमराव अम्बेड़कर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2012 को प्रख्यापित डॉ0 भीमराव अम्बेड़कर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-8) को अस्वीकार करता है।"

(I I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

डॉ. भीमराव अम्बेड़कर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-32)

"राजस्थान राज्य में जयपुर में डॉ0 भीमराव अम्बेड़कर विधि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

जारी-13

(5) शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अध्यादेश, 2012 के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2012 को प्रख्यापित शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-7) को अस्वीकार करता है।"

(I I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-33)

"राजस्थान राज्य में सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(6) सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अध्यादेश, 2012 के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2012 को प्रख्यापित सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-10) को अस्वीकार करता है।"

(I I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-34)

"राजस्थान राज्य में जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी-14

(7) राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय,उदयपुर अध्यादेश, 2012 के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2012 को प्रख्यापित राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-9) को अस्वीकार करता है।"

(I I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-35)

"राजस्थान राज्य में उदयपुर में राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(8) महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 30 अप्रेल, 2012 को प्रख्यापित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2012(2012 का अध्यादेश संख्यांक-2) को अस्वीकार करता है।"

(I I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-37)

"महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

जारी-15

(9) कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 30 अप्रेल, 2012 को प्रख्यापित कोटा विश्वविद्यालय(संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-3) को अस्वीकार करता है।"

(I I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-38)

"कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया
विशेषाधिकारी

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 10 अक्टूबर, 2012